

प्राथमिक पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

शौलावती मीणा (आर.ए.एस.).....

1. स्व. लाल सिंह पुत्र हरदयाल

2. ज्योत्सना पुत्र हरदयाल

3. ज्योत्सना पुत्र हरदयाल

सम्बन्ध जाति जाट निवासीगण ग्राम बांठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

.....वादीगण

बनाम

1. नोपाराम पुत्र मुकन्दा
2. बाबूलाल पुत्र स्व० नेमीचन्द
3. मुरारी पुत्र स्व० नेमीचन्द
4. भंवरी पत्नी स्व० नेमीचन्द
5. इमरता पुत्री स्व० नेमीचन्द
6. संतरा पुत्री स्व० नेमीचन्द
7. बबली पुत्री स्व० नेमीचन्द
8. रणवीर पुत्र स्व० घड़सीराम
9. बिमला पुत्री स्व० घड़सीराम
10. सरोज पुत्री स्व० घड़सीराम
11. पार्वती पुत्री स्व० घड़सीराम
12. शारदा पुत्री स्व० घड़सीराम
13. सुमित्रा पुत्री स्व० घड़सीराम
14. सुशीला पुत्री स्व० घड़सीराम
15. अर्जुन पुत्र हरू
16. केसर पुत्र हरू
17. नाराणी पत्नी हरू
18. कुलदीप पुत्र दुला
19. सुरेन्द्र कुमार पुत्र दुला
20. पतासी पत्नी दुला
21. चन्द्रा पुत्र श्योजी
22. संजय पुत्र स्व० राजेन्द्र
23. मंगलचन्द पुत्र स्व० राजेन्द्र



उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)



1. स्वामी पत्नी स्व० राजेन्द्र
 2. स्वामी पुत्र स्व० जालू
 3. स्वामी पुत्र स्व० जालू
 4. स्वामी पत्नी स्व० जालू
 5. स्वामी पुत्री स्व० जालू
 6. स्वामी पुत्री स्व० जालू
 7. समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बांठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
 8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा फतेहपुर
 9. केनरा बैंक शाखा फतेहपुर
 10. इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा फतेहपुर
 11. पटवारी, हल्का बांठोद
 12. तहसीलदार फतेहपुर

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा

मुकदमा नं.....23.....सन्...2019.....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....मेरे.....

व हाजिरी...श्री महीपाल मूण्ड एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्ई रुबरू.....एडवोकेट श्री
 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बांठोद की भूमि खसरा
 नम्बर 255 रकबा 2.6700है0, खसरा नम्बर 293 रकबा 2.4200है., खसरा नम्बर 343 रकबा 3.9700है., खसरा
 नम्बर 367 रकबा 2.66है., खसरा नम्बर 383 रकबा 1.7700है. कुल किता 5 रकबा 13.4900है. व खसरा
 नम्बर 15 रकबा 5.2000है., खसरा नम्बर 50 रकबा 0.5000है., खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0800है. कुल किता
 3 रकबा 5.7800है. का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग से खसरा
 नम्बर व लगान कायम किया जावे। तहसीलदार फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव व
 मौका नक्शा विभिन्न रंगों से दर्शाते हुए दो प्रतियों में भिजवाया जावें।

निज.....-मुबलिग.....-.....बाबत.....-

खर्चा इस मुकदमें के मय शूद बशरह.....-.....फीसदी सालाना आज की तारीख से
 तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माहजनवरी.....सन् 2020 को
 जारी की गई।



दस्तखत.....
 (श्रीलाक्मी नीगा)
 उपखण्ड अधिकारी
 ओहदा.....
 फतेहपुर (सीकर)

| | रूपया | पैसा | मुद्दयलह | रूपया | पैसा |
|--|-------|------|---------------------|-------|------|
| | 2 | | स्टाम्प अर्जी दावा | - | |
| | 1 | | स्टाम्प वकालत नामा | - | |
| | - | | स्टाम्प वजह सबूत | - | |
| | - | | महन्ताना वकील | - | |
| | - | | खर्चा गवाहान | - | |
| | - | | फीस कमिश्नर | - | |
| | - | | बबत इजराय हुक्मनामा | - | |
| | - | | मुतफरिक | - | |
| | 3 | | | | |

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।



xl
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सिकर)